

CULTURAL AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT  
OF MAURITIUS AND THE GOVERNMENT OF THE  
REPUBLIC OF INDIA

The Government of Mauritius  
and  
The Government of the Republic of India

CONSCIOUS of close cultural ties which have existed  
between the two countries,

INSPIRED by a common desire to establish and develop  
still closer cultural relations in the spirit of the  
high ideals enshrined in the Constitution of the United  
Nations Educational Scientific and Cultural Organization,  
and

DESIROUS of promoting and developing in every possible  
manner such relations in the realm of culture, art,  
science, technology and education,

HAVE DECIDED to conclude an Agreement for Cultural,  
Scientific and Technical Cooperation and for that purpose,  
have nominated their respective plenipotentiaries i.e.,

For the Government of  
Mauritius

Hon. Mr Veerasamy Ringadoo  
Acting Prime Minister of  
Mauritius

For the Government of  
the Republic of India

Prof. S. Nurul Hasan,  
Minister for Education,  
Social Welfare & Culture

who, after having exchanged their plenipotences and  
found them in good and due form, have agreed as follows:

ARTICLE I

The Contracting Parties shall facilitate and  
encourage cooperation between Universities and other  
institutions of higher education, technical, artistic  
and other schools, scientific laboratories, scientific  
and artistic associations, academies, museums and  
libraries in the two countries.

ARTICLE II

The Contracting Parties shall exchange University  
professors and teachers in higher educational institutions  
and members of scientific bodies.

ARTICLE III

The Contracting Parties undertake to encourage exchange of cultural, scientific and educational material, translation and exchange of books, periodicals and other publications of literary, artistic, cultural, educational and scientific importance between universities, academies, libraries and other educational, scientific and cultural organizations.

ARTICLE IV

Each Contracting Party shall endeavour to grant scholarships to students from the country of the other Party for post-graduate studies in cultural, technical educational and scientific fields.

ARTICLE V

The Contracting Parties agree to promote the teaching of Indian languages in educational institutions in Mauritius and to cooperate in the propagation of Indian culture and civilisation in Mauritius.

ARTICLE VI

The Contracting Parties shall offer their good offices to facilitate the mutual recognition by universities and other educational authorities in the two countries of the degrees, diplomas and certificates awarded by them in accordance with the laws prevailing in each country.

ARTICLE VII

The Contracting Parties shall encourage reciprocal visits of professors, educationists, writers, artists and other experts for study tours, delivering lectures and participation in conferences, congresses, seminars and important cultural and artistic events.

ARTICLE VIII

The Contracting Parties shall afford in their respective countries all possible facilities to scientists, research workers and scientific and educational delegations from the other Contracting Party in order to help them in their studies and researches, particularly by giving them access to educational institutions, pedagogic institutes, laboratories, libraries, archives and museums.



ARTICLE IX

The Contracting Parties shall encourage dissemination of knowledge of each other's culture through radio, press and similar other mass media.

ARTICLE X

Both Contracting Parties shall endeavour to facilitate and assist in holding in their countries of concerts, theatrical performances, art, scientific and technical exhibitions by the other Party.

ARTICLE XI

The Contracting Parties shall encourage cooperation between their recognised youth organizations and shall facilitate exchange in the fields of physical education and sports.

ARTICLE XII

The Contracting Parties shall endeavour through all means in their power and subject to the laws prevalent in each country to ensure that text-books and other educational publications do not contain any misrepresentation about the country of the other Party.

ARTICLE XIII

The Contracting Parties shall encourage the translation, publication and distribution of scientific, technical, artistic and literary works of authors of the other Party. They shall facilitate the publication, in their own specialised reviews, of articles of cultural and scientific character relating to the other Party.

ARTICLE XIV

Each Contracting Party shall welcome the establishment in its territory of cultural institutes or friendship associations devoted to educational and cultural pursuits in accordance with the local laws and the general policy of that Government.

It is understood by both Parties that prior clearance of the Government concerned would be obtained before any institutions are established in pursuance of this Agreement.



ARTICLE XV

The Contracting Parties shall encourage exchange of tourists between the two countries in order to promote better understanding and strengthen friendship between the two countries.

ARTICLE XVI

For the fulfilment of the objectives of the present Agreement, a Joint Committee consisting of representatives of each Contracting Party shall be set up in due course. The Joint Committee shall meet as often as required, but at least once in two years, alternately in New Delhi and Port Louis.

The objects of the Joint Committee will be:

- a) To keep under periodical review the working of the Agreement;
- b) To advise the Governments concerned on the detailed manner of carrying out the Agreement;
- c) To formulate cultural, scientific and educational exchange programmes and review their progress;
- d) To recommend to the Party concerned any items of interest to either party in the fields within the scope of this Agreement; and
- e) Generally to advise the Government concerned as to the manner in which the working of the Agreement may be improved upon.

The Joint Committee may invite experts to attend its meetings in an advisory capacity.

ARTICLE XVII

The present Agreement shall come into force on the date of the exchange of the Instruments of ratification, to take place at New Delhi and shall remain in force until the expiry of six months from the date on which either of the Contracting Parties shall give notice in writing of its intention to terminate the Agreement.

15  
20




In case of termination, the position enjoyed by various beneficiaries shall continue till the end of the year then running, and in the case of scholars, till the end of the academic year then running.


IN WITNESS WHEREOF, the Plenipotentiaries designated earlier have signed the present Agreement and affixed their seals thereto.

Done at Port Louis on the Sixth day  
of February One Thousand Nine Hundred and  
Seventy-three, corresponding to the day  
of Seventeenth Magha of the Saka Year One Thousand  
Eight Hundred and Ninety-four in four originals,  
two each in the English and Hindi languages, each text  
being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF  
MAURITIUS

  
( Veerasamy Ringadoo )  
Acting Prime Minister of  
Mauritius

FOR THE GOVERNMENT OF  
THE REPUBLIC OF INDIA

  
( S. NURUL HASAN )  
Minister for Education,  
Social Welfare & Culture

मोरिशस की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच  
सांस्कृतिक करार

---

मोरिशस की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार,  
दोनों देशों के बीच विद्यमान घनिष्ठ सांस्कृतिक सम्बन्धों के प्रति  
सजग रहते हुए,

संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति संगठन के संविधान में  
प्रतिष्ठापित उच्च आदर्शों की भावना के अनुकूल और अधिक सांस्कृतिक संबंध  
स्थापित और विकसित करने की सामान्य इच्छा से प्रेरित होकर, और

संस्कृति, कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे  
संबंधों को हर सम्भव तरीके से संप्रवर्तित और विकसित करने की इच्छा से,  
सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहकारिता के लिए कदम  
करने का निश्चय किया है और इस प्रयोजन के लिए उन्होंने,

मोरिशस की सरकार  
की ओर से

माननीय वीरास्वामी रिंगाडू,  
मोरिशस के कार्यवाहक प्रधान मंत्री

भारत गणराज्य की  
सरकार की ओर से

प्रोफेसर एस० नुस्ल हसन  
शिक्षा, समाज कल्याण और  
संस्कृति मंत्री

को अपना-अपना पूर्णाधिकारि नामनिर्देशित किया है जो अपने-अपने  
पूर्णाधिकारि का आदान-प्रदान करने के बाद और उन्हें सही और सम्यक्  
रूप का पाकर निम्नलिखित रूप में संविद् हो गये हैं :

अनुच्छेद - I  
-----

संविदाकारि पक्षकार, दोनों देशों के विश्वविद्यालयों और उच्चतर  
अध्ययन की अन्य संस्थाओं, तकनीकी, कलात्मक और अन्य स्कूलों, वैज्ञानिक  
प्रयोगशालाओं, वैज्ञानिक और कलात्मक संघों, अकादमियों, संग्रहालयों और  
पुस्तकालयों के बीच सहकारिता को सुकर बनाएंगे और प्रोत्साहित करेंगे ।



अनुच्छेद - II

संविदाकारी पक्षकार, विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों और उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं के अध्यापकों तथा वैज्ञानिक निकायों के सदस्यों का आदान-प्रदान करेंगे ।

अनुच्छेद - III

संविदाकारी पक्षकार, विश्वविद्यालयों, अकादमियों, पुस्तकालयों और अन्य शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठनों के बीच सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और शैक्षिक सामग्री के विनिमय, साहित्यिक, कलात्मक, सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा वैज्ञानिक महत्व की पुस्तकों, पत्रिकाओं और अन्य प्रकाशनों के अनुवाद और आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करने का उत्तरदायित्व लेते हैं ।

अनुच्छेद - IV

प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार, सांस्कृतिक, तकनीकी, शैक्षिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में स्नातकोत्तर अध्ययनों के लिए अन्य पक्षकार के देश के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां अनुदत्त करने का प्रयास करेगा ।

अनुच्छेद - V

संविदाकारी पक्षकार, मोरिशस की शैक्षिक संस्थाओं में भारतीय भाषाओं के अध्यापन को संप्रवर्तित करने और मोरिशस में भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता के प्रसार में सहयोग देने के लिए सहमत हैं ।

अनुच्छेद - VI

संविदाकारी पक्षकार इस बात को सुकर बनाने के लिए अपनी सेवारं पेश करेंगे कि दोनों देशों के विश्वविद्यालय और अन्य शैक्षिक प्राधिकारी पारस्परिक रम से उन डिग्रियों, डिप्लोमाओं और प्रमाण पत्रों को मान्यता दें जो कि उनके द्वारा अपने अपने देशों में अभिभावी विधि के अनुसार दिये जाते हैं ।

अनुच्छेद - VII

संविदाकारी पक्षकार, अध्ययन दौरों, व्याख्यान देने और सम्मेलनों, सभाओं, सेमिनारों और महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और कलात्मक प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोफसरों, शिक्षाविदों, लेखकों, कलाकारों तथा अन्य विशेषज्ञों के पास्परिक अभ्यागमनों को प्रोत्साहित करेंगे ।

अनुच्छेद - VIII

संविदाकारी पक्षकार अन्य पक्षकार के वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और वैज्ञानिक तथा शैक्षिक शिष्टमण्डलों को उनके अध्ययनों तथा अनुसन्धानों में सहायता देने के लिए अपने-अपने देशों में प्रत्येक सम्भव सुविधाएं प्रदान करेंगे और विशेषकर शैक्षिक संस्थाओं, शिक्षान-वैज्ञान सम्बन्धी संस्थाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, अभिलेखागारों तथा संग्रहालयों के उपयोग की अनुमति देंगे ।

अनुच्छेद - IX

संविदाकारी पक्षकार, रेडियो, प्रेस और जन साधनों के ऐसे ही अन्य माध्यमों के जरिए एक दूसरे की संस्कृति की जानकारी के प्रसार को प्रोत्साहित करेंगे ।

अनुच्छेद - X

दोनों संविदाकारी पक्षकार, अपने-अपने देश में दूसरे पक्षकार द्वारा, संगीत-सभाओं, थियेटर संबंधी प्रदर्शन, कला, वैज्ञानिक तथा तकनीकी प्रदर्शनियां आयोजित करने में सहायता देंगे और उन्हें सुकर बनाने का प्रयत्न करेंगे ।

अनुच्छेद - XI

संविदाकारी पक्षकार एक-दूसरे के मान्यता-प्राप्त युवक संगठनों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करेंगे और शारीरिक शिक्षा तथा खेलों के क्षेत्रों में आदान-प्रदान को सुकर बनाएंगे ।



अनुच्छेद - XII

संविदाकारी पक्षकार अपने अधीन सभी साधनों के जरिए और एक दूसरे के देश में विद्यमान कानूनों के अधीन, इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि पाठ्यपुस्तकों और अन्य शैक्षिक प्रकाशनों में दूसरे पक्षकार के देश के संबंध में मिथ्या वर्णन अन्तर्विष्ट न हो ।

अनुच्छेद - XIII

संविदाकारी पक्षकार अन्य पक्षकार के लेखकों के वैज्ञानिक, तकनीकी, कलात्मक तथा साहित्यिक पुस्तकों के अनुवाद, प्रकाशन और वितरण को प्रोत्साहित करेंगे । वे अपनी-अपनी विशिष्ट पत्रिकाओं में अन्य पक्षकार के सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक किस्म के लेखों के प्रकाशन को सुकर बनाएंगे ।

अनुच्छेद - XIV

प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार अपने-अपने क्षेत्र में स्थानीय कानूनों तथा उक्त सस्कार की आम नीति के अनुसार, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक कार्यकलापों में रत सांस्कृतिक संस्थाओं अथवा मैत्री संस्थाओं की स्थापना का स्वागत करेंगे ।

दोनों पक्षकारों द्वारा यह मान लिया जाता है कि इस करार के अनुसार में, किसी संस्था की स्थापना से पहले, संबंधित सस्कार से पूर्व अनुमति ले ली जाएगी ।

अनुच्छेद - XV

संविदाकारी पक्षकार दोनों देशों के बीच बेहतर सड़भावना तथा मित्रता बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच पर्यटकों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करेंगे ।

अनुच्छेद - XVI

विद्यमान करार के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, यथासमय एक संयुक्त समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार के प्रतिनिधि शामिल होंगे । उक्त संयुक्त समिति की बैठक आवश्यकतानुसार समय-समय पर होगी, किन्तु दो वर्षों में कम से कम एक बार, बारी-बारी

से पोर्ट लुई और नई दिल्ली में अवश्य होगी ।

संयुक्त समिति निम्नलिखित बातों के लिए जिम्मेदार होगी :-

- (क) करार के कार्यक्रम का आवधिक पुनर्विलोकन करना ;
- (ख) संबंधित सरकारों को करार के कार्यान्वयन की विस्तृत रीति के संबंध में सलाह देना ;
- (ग) सांस्कृतिक , वैज्ञानिक और शैक्षिक विनिमय कार्यक्रम बनाना तथा उनकी प्रगति का पुनर्विलोकन करना ;
- (घ) इस करार की परिधि के अन्तर्गत क्षेत्रों की ऐसी मदों की वाचत , जिसमें किसी भी पक्षकार की स्वीच हो , संबंधित पक्षकार को सिफरिश करना ; और
- (ङ) संबंधित सरकार को , साधारणतया उस रीति के बारे में सलाह देना जिससे करार के कार्यक्रम को सुधार जा सके ।

संयुक्त समिति , अपनी बैठकों में सलाहकार की हैसियत से भाग लेने के लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकती है ।

अनुच्छेद - XVII

विद्यमान करार , अनुसमर्थन-लिखतों के विनिमय की तारीख से लागू होगा जो कि नई दिल्ली में किया जाएगा और यह , जिस तारीख से संविदाकारी पक्षकारों में से कोई करार को अवसित करने के अपने आशय की लिखित रूप में सूचना दे , उस तारीख से छः महीनों के अवसान तक प्रवर्तन में रहेगा ।

इसके अवसित होने पर , विभिन्न लाभग्राहियों द्वारा प्राप्त स्थिति उस समय चालू वर्ष के अन्त तक और अध्येताओं के मामले में उस समय चालू शैक्षिक वर्ष के अन्त तक जारी रहेगी ।



जिसके साक्ष्य में, पूर्वतर अभिहित पूर्णाधिकारियों ने वर्तमान करार पर हस्ताक्षर किए हैं और उस पर अपनी-अपनी मुद्राएं लगाईं ।

पोर्ट लुई में छठे दिन फरवरी के, सन् एक हजार नौ सौ तथा तिहत्तर, तदनुसार माघ के सत्रवें दिन, शक सम्बत, एक हजार आठ सौ तथा चौगनवे को, चार मूल प्रतियों में, अंग्रेजी तथा हिन्दी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में किया गया । प्रत्येक पाठ समान रम से प्रमाणित होगा ।

मोरिशस की सरकार  
की ओर से

वी. रिंगाडू  
वीरास्वामी रिंगाडू,  
मोरिशस के कार्यवाहक प्रधान मंत्री

भारत गणराज्य की सरकार  
की ओर से

मुकुल हसन  
एस० नुस्स हसन  
शिक्षा, समाज कल्याण और  
संस्कृति मंत्री